

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की  
तामील में जारी हुये

18.01.21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा बहस करनी  
चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया  
सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के  
साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्बत 2071 से 2074 तक के अवलोकन  
से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की  
है। पडोसियान के विवाद करने वाकत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके  
जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की  
है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया  
जाता है तथा भूमि भूमि ग्राम ओडियाखेडा पटवार हल्का भरणीकलों  
तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 461/2 रकबा 04.  
09 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख  
निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 600  
रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु.  
राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा  
जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

